



मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम
पंचानन, तृतीय तल, मुख्यालय, भोपाल
(0755) 2551652, 2551756 Email : mpagrohbpl@gmail.com
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्रं/मुख्या/उर्वरक/एफ-15/2025-26/3030

दिनांक 13/11/2025

प्रति,

क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक
..... (समस्त)

विषय-रबी सीजन 2025-26 के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के संशोधित क्रय एवं विक्रय दरें।

संदर्भ-विपणन संघ का पत्र क्रं 5379 दिनांक 07.11.2025 (प्रसारण क्रं-05- संशोधित)

मुख्यालय द्वारा पत्र क्रं 2899 दिनांक 31.10.2025 (MARKFED पत्र क्रं 4848 दिनांक 17.10.2025, प्रसारण क्रं-5) के माध्यम से उपरोक्त विषयांतर्गत दरें प्रसारित की गई थी।

मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ द्वारा उनके द्वारा पत्र क्रं 5379 दिनांक 07.11.2025 के माध्यम से मेसर्स IFFCO के NPL 12:32:16, NPK 10:26:26 एवं अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट 20:20:0:13 की दरों को हटाया गया है, शेष दरें यथावत रखी गई हैं।

विपणन संघ के पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आगामी व्यवसायिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-पत्र क्रं 5379 दिनांक 07.11.2025 की छायाप्रति।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रबंधक (उर्वरक)



मुख्यालय-जहॉगीराबाद, भोपाल पिन कोड नं० 462008

620

(म०प्र० राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

ई-मेल :- cgmmarkfed@gmail.com

GSTIN NO. 23AABAT4628HIZM

PAN - AABAT4628H

कमांक/खाद प्रशासन/5379/2025-26

भोपाल, दिनांक 11/11/2025

प्रसारण कमांक रबी सीजन 2025.26 [5] विक्रय दरें (संशोधित पत्रक)

प्रति,

1. जिला विपणन अधिकारी,
म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, समस्त
2. प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक/प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त

विषय:- रबी सीजन 2025.26 के लिए रासायनिक उर्वरकों की विक्रय दरें।

संदर्भ:- उर्वरक समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.10.2025 एवं मुख्यालय का पत्र
क०/खाद प्रशा०/ 4848 भोपाल दिनांक 17.10.2025।

रबी सीजन 2025.26 में रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था हेतु उर्वरकों की विक्रय दरें उर्वरक
समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.10.2025 में लिये गए निर्णयानुसार निम्नानुसार निर्धारित की
जाती है :-

क्र.	नाम उर्वरक	प्रदाय दर प्रति टन (सीजीएसटी रहित)	मार्जिन प्रति टन	शुद्ध प्रदाय दर प्रति टन	समस्त सहकारी समितियाँ एवं संस्थाओं के लिए						कृषकों के लिए विक्रय दर	
					जीएसटी		प्रदाय दर [कालम 6 से 7 का योग]	समिति का वितरण मार्जिन	समिति द्वारा वितरण मार्जिन पर देय कर		प्रति टन [कालम 8 से 11 का योग]	प्रति टन (50 किग्रा)
					सीजीएसटी	एसजीएसटी			सीजीएसटी	एसजीएसटी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डीएपी	25214.29	79.00	25293.29	632.33	632.33	26557.95	421.00	10.53	10.53	27000.00	1350.00
2	टीएसपी	24261.90	78.00	24340.90	608.52	608.52	25557.95	421.00	10.53	10.53	26000.00	1300.00
3	पोटाश	32785.71	129.00	33914.71	847.87	847.87	35610.45	371.00	9.28	9.28	36000.00	1800.00
एनपीके 12:32:16												
4	समस्त अनुमोदित प्रदायको हेतु	35690.48	79.00	35769.48	894.24	894.24	37557.95	421.00	10.53	10.53	38000.00	1900.00
एनपीके 10:26:26												
5	समस्त अनुमोदित प्रदायको हेतु	35690.48	79.00	35769.48	894.24	894.24	37557.95	421.00	10.53	10.53	38000.00	1900.00
अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20:20:0:13												
6	घेंगल एवं एनएफएल	26166.67	79.00	26245.67	656.14	656.14	27557.95	421.00	10.53	10.53	28000.00	1400.00
	अग्र समस्त अनुमोदित प्रदायको हेतु	27119.05	79.00	27198.05	679.95	679.95	28557.95	421.00	10.53	10.53	29000.00	1450.00

c:\users\user\desktop\rahi 2025-26\selling rate 2025-26\selling rate rabi 2025-26.doc

जोनी डाला
प्रति 11-25

[Signature]

619

क्र.	नाम उर्वरक	प्रदाय दर प्रतिटन (सीजीएसटी सहित)	माजिन प्रतिटन	शुद्ध प्रदाय दर प्रतिटन	सामस्त सहकारी समितियों एवं संस्थाओं के लिए						कृषकों के लिए विक्रय दर	
					जीएसटी		प्रदाय दर (कालम 8 से 7 का योग)	समिति या वितरण माजिन	समिति द्वारा वितरण माजिन पर देय कर		प्रतिटन (कालम 8 से 11 का योग)	प्रतिबोरी (60 किग्रा)
					सीजीएसटी	एसजीएसटी			सीजीएसटी	एसजीएसटी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एनपीके 16:20:0:13	26166.67	79.00	26245.67	656.14	656.14	27557.95	421.00	10.53	10.53	28000.00	1400.00
8	एनपीके 14:35:14	35690.48	79.00	35769.48	894.24	894.24	37557.95	421.00	10.53	10.53	38000.00	1900.00
9	एनपीके 15:15:15	30928.57	79.00	31007.57	775.19	775.19	32557.95	421.00	10.53	10.53	33000.00	1650.00
10	एनपीके 16:16:16	31404.76	79.00	31483.76	787.09	787.09	33057.95	421.00	10.53	10.53	33500.00	1675.00
11	एनपीके 26:28:0	31880.95	79.00	31959.95	789.00	799.00	33557.95	421.00	10.53	10.53	34000.00	1700.00
12	यूरिया 20:20:0	26166.60	79.00	26245.60	656.14	656.14	27557.88	421.00	10.53	10.53	27999.93	1400.00
13	एसएसपी (5:15:0:10)	12833.25	79.00	12912.25	322.81	322.81	13557.88	421.00	10.53	10.53	13999.91	700.00
14	ओमो सल्फेट	17335.24	114.00	17449.24	436.23	436.23	18321.70	646.00	16.15	16.15	19000.00	950.00

रबी सीजन 2025-26 के लिए निर्णयानुसार रासायनिक उर्वरकों की नगद विक्रय दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.	नाम उर्वरक	प्रदाय दर (प्रतिटन)	जीएसटी		कृषकों के लिए विक्रय दर	
0			सीजीएसटी @ 2.5%	एसजीएसटी @ 2.5%	प्रतिटन	प्रतिबोरी (50 किग्रा)
1	2	3	4	5	6	7
1	डीएपी	25714.29	642.86	642.86	27000.00	1350.00
2	टीएसपी	24761.90	619.05	619.05	26000.00	1300.00
3	पोटाश	34285.71	857.14	857.14	36000.00	1800.00
एनपीके 12:32:16						
4	समस्त अनुमोदित प्रदायकों हेतु	36190.48	904.76	904.76	38000.00	1900.00
एनपीके 10:26:26						
5	समस्त अनुमोदित प्रदायकों हेतु	36190.48	904.76	904.76	38000.00	1900.00

c:\users\user\desktop\irabi 2025-26\selling rate 2025-26\selling rate rabi 2025-26.doc

618

क्र.	नाम उर्वरक	प्रदाय दर (प्रतिटन)	जीएसटी	कृषकों के लिए विक्रय दर		
			सीजीएसटी 2.5@%	एसजीएसटी 2.5@%	प्रतिटन	प्रतिबोरी (50 किग्रा)
1	2	3	4	5	6	7
अमोफाफा 20.20.0.13						
6	मेसर्स घंघल एवं एनएफएल	26666.67	666.67	666.67	28000.00	1400.00
7	संगठित अनुमोदित प्रदायको हेतु एनपीके 16:20:0:13	27619.05	690.48	690.48	29000.00	1450.00
8	एनपीके 14:35:14	26666.67	666.67	666.67	28000.00	1400.00
9	एनपीके 15:15:15	36190.48	904.76	904.76	38000.00	1900.00
10	एनपीके 16:16:16	31428.57	785.71	785.71	33000.00	1650.00
11	एनपीके 20:20:0	31904.76	797.62	797.62	33500.00	1675.00
12	एनपीके 28:28:0	32380.95	809.52	809.52	34000.00	1700.00
13	यूरिया अमोफाफेट (20:20:0)	26666.6	666.67	666.67	27999.93	1400.00
14	यूरिया एसएसपी (5:15:0:10)	13333.25	333.33	333.33	13999.91	700.00
15	अमोफा सल्फेट	18095.24	452.38	452.38	19000.00	950.00

नोट:- पुराने कम दर का स्कंध पुराने कम दर से ही विक्रय किया जावे। उक्त दरें नवीन स्कंध के लिए प्रभावशील होगी। यदि पुराने अधिक दर के स्कंध का विक्रय प्रचलित दर पर करते हुए मायांतर का प्रस्ताव मुख्यालय प्रस्तुत करें।

2. उक्त दरों में भारत सरकार द्वारा लागू की गई सी.जी.एस.टी. एवं राज्य शासन द्वारा लागू एस.जी.एस.टी. सम्मिलित है।

3. जिन समितियों को दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के उपरांत पंजीयन लेना अनिवार्य है, उन समितियों को उक्त अधिनियम में पंजीयन लेकर कर मासिक आधार पर कर भुगतान करने का दायित्व होगा।

4. समितियों द्वारा कृषकों को विक्रय किये जाने वाले उर्वरकों पर वसूल किये गये जी.एस.टी. की राशि में से कर पर भुगतान किये गये जी.एस.टी. की राशि में से घटाकर शेष कर का भुगतान समितियों द्वारा शासन को करने का वैधानिक दायित्व समितियों का होगा।

5. जिला दिपणन अधिकारी मासिक कर का रिटर्न निर्धारित समय में लेखा शाखा मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत करेंगे।

6. उक्त दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगी तथा आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेंगी।

7. जिला सहकारी बैंक समितियों को निर्देशित करेंगे, कि समितियों जी.एस.टी. कर अधिनियम के अनुसार जी.एस.टी. की वसूल की गई राशि कोषालय में समय पर जमा कर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिटर्न जी.एस.टी. विभाग को जमा करेंगी तथा कर का निर्धारण करायेंगी। यह दायित्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का होगा।

c:\users\user\desktop\rabi 2025-26\selling rate 2025-26\selling rate rabi 2025-26.doc

617

8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा समितियों को जारी किये जाने वाले रिलीज आर्डर पर जी.एस. टी. की दर एवं कर की राशि दर्शित की जाना आवश्यक है। अतः रिलीज आर्डर पर दरों के चार्ट कालम 3, 4 और 5 में दर्शित दर अनुसार खाद का मूल्य एवं जीएसटी की राशि का पृथक्-पृथक् दर्शाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा समिति को खरीदी पर मुग्तान किये गये 5 की राशि का रिबेट प्राप्त नहीं होगा और पूर्ण टैक्स की राशि का दायित्व समिति का होगा।
उक्त संशोधित दरों एवं निर्देश से संबंधितों को अवगत कराये।

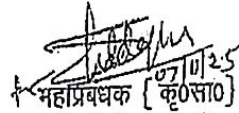
महाप्रबंधक [कृ०सा०]

म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० भोपाल

पृ०.कमांक/खाद प्रशा०/5379 /2025-26
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/11/2025

1. अपर मुख्य सचिव एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारिता, सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. तंभागायुक्त, [समस्त मध्यप्रदेश]
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ।
10. कलेक्टर [समस्त मध्यप्रदेश]
11. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग [समस्त मध्यप्रदेश]
12. संयुक्त आयुक्त, सहकारी समितियां [समस्त मध्यप्रदेश]
13. मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित [समस्त]
14. उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग [समस्त मध्यप्रदेश]
15. उप/सहायक आयुक्त, सहकारी समितियां [समस्त मध्यप्रदेश]
16. प्राचार्य सहकारी प्रबंध संस्थान, त्रिलंगा रोड, भोपाल ।
17. प्राचार्य, सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ।
18. मुख्य महाप्रबंधक, [वित्त] मुख्यालय भोपाल ।
19. प्रभारी महाप्रबंधक [खाद लेखा] मुख्यालय भोपाल ।
20. उप महाप्रबंधक, आई०टी० मुख्यालय भोपाल ।
21. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सह०विप०संघ मर्या० मुख्यालय भोपाल ।



म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० भोपाल